इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 446] भोपाल, बुधवार, दिनांक 11 नवम्बर 2020—कार्तिक 20, शक 1942

परिवहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2020

एफ 22-124-2019-आठ.—मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, पूर्व में जारी विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 22-124-2019-आठ, दिनांक 02 अगस्त, 2019, जिसके द्वारा मोटरयान के बकाया शोध्य मोटरयान कर एवं शास्ति के भुगतान के संबंध में 31 मार्च, 2020 तक छूट प्रदाय की गई थी में संशोधन करती है और मोटरयान के बकाया शोध्य कर एवं शास्ति के भुगतान की उक्त समय-सीमा में 31 मार्च, 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 तक की वृद्धि करती है. पथभ्रष्ट यानों के संबंध में कर की गणना 31 मार्च 2020 को देय कर पर की जाएगी.

F. 22-124-2019-VIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 21 of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, makes an amendment in the Departmental Notification No. F 22-124-2019-Eight issued on date 02 August, 2019 by which the payment of remaining dues of tax of the motor vehicles and penalty has been relaxed upto 31st March, 2020 and extends the said time limit of payment of dues of motor vehicle tax and Penalty from 31st March, 2020 to 31st March, 2021. In case of astray vehicles the tax may be calculated on the tax which was due on 31st March 2020.

एफ 22-124-2019-आठ.—मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश में पंजीकृत ऐसे समस्त लोकसेवा यान, जिनका मासिक मोटरयान कर उपरोक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के मद (चार) के अनुसार शोध्य है, को माह अप्रैल 2020 से माह अगस्त 2020 तक के शोध्य कर के भुगतान से पूर्णत: एवं माह सितम्बर, 2020 के शोध्य कर के भुगतान से पचास प्रतिशत की छूट प्रदान करती है.

F. 22-124-2019-VIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 21 of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, grants a full discount on the dues of monthly tax of the motor vehicle from the month of April, 2020 to August, 2020 and fifty percent for the month of September, 2020 for all such public service vehicles which are registered in the Madhya Pradesh and come under item (four) of First Schedule of the said Act.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सुचारी, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.